गायों की मौत पर भीड़ द्वारा सड़क जाम

6 तारीख को अनखीर-बड़खल रोड पर मरी दो गायों को लेकर भी भीड़ ने सुबह 8 बजे से 11 बजे तक अच्छा खासा बबाल काटा। पूरा जाम लगा रहा अनखीर चौक से लेकर बड़खल तथा राजमार्ग को जाने वाली सड़कों पर। इससे दफ़्तरों व अन्य काम पर जाने वालों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार दोनों गाय रात को किसी समय सेक्टर 21 डी वाली साइड (ग्रीन बेल्ट) में मर गयी। सुबह कुछ शरारती तत्वों ने उन्हें घसीट कर सड़क पर ला पटका और कहानी गढ दी कि रात में कोई गाड़ी इनको लाद कर लेजा रही थी। स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी के उछलने से दोनों गिर कर मर गयीं। जबकि दोनों गायों पर गिरने व चोट के कोई निशान नहीं पाये गये।

अपनी मनगढंत कहानी को बल देने के लिये उन लावारिस गायों का एक मालिक भी खड़ा कर दिया गया। उससे कहलवाया जा रहा था कि रात में गौ-तस्कर उसकी गायों को खोल कर ले गये थे। लेकिन बाद में पुलिस की पूछताछ के दौरान वह भी मुकर गया।

इस प्रदर्शन के द्वारा उनकी मांग थी कि तथाकथित गौ-तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय तथा 'गौ-माता' की सुरक्षा के लिये सरकार द्वारा व्यापक प्रबन्ध किये जायें। दरअसल एक वर्ग विशेष तथा भाजपा सरकार गौ-माता के नाम पर घटिया से घटिया सियासत तो कर सकते हैं परन्तु धरातल पर कुछ भी करने को तैयार नहीं। यही लोग गौशालाओं के नाम पर पूरी धंधेबाज़ी तथा बयानबाज़ी करते हैं। स्थानीय विधायक विपुल गोयल गत 3 माह से अवारा गायों व कुत्तों को शहर की सड़कों से हटाने की बयानबाज़ी तो करते आ रहे हैं लेकिन इससे आगे एक कदम भी बढाने को तैयार नहीं।

नेहरू द्वारा नेता जी की जासूसी, भगत सिंह परिवार भी उछला

पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा नेता जी सुभाष चन्द्र बोस की जासूसी कराये जाने की खबर से शहीद भगत सिंह परिवार के लोग भी अब उछलने लगे हैं। नेहरू द्वारा नेता जी की जासूसी कराये जाने की बात तो किसी हद तक समझ आती है, परन्तु भगत सिंह के परिवार की जासूसी से किसी को क्या मिलने वाला था?

शहीद भगत सिंह जिस उद्देश्य के लिये कुर्बान हो गये, उनके परिवार का कोई भी जन उसके आसपास भी नज़र नहीं आता। मनुष्य द्वारा मनुष्य के तथा साम्राज्यवादियों द्वारा देशों के शोषण के बारे में उनकी मार्क्सवादी सोच के बारे में, लगता नहीं कि उनके किसी (तथाकथित) वारिस को ज़रा भी ज्ञान हो। उन्होंने बड़ा स्पष्ट लिखा था कि गोरे अंग्रेज़ों के बाद यदि हकूमत काले अंग्रेज़ों के हाथ में आ जाय तो वह आज़ादी बेमानी होगी।

इसके बावजूद अपने आप को उस महान शहीद का वारिस बताने वालों ने सत्ता में आने वाले किसी काले अंग्रेज का घर नहीं छोड़ा जहां ये लोग भीख का कटोरा लेकर न गये हों, जहां इन्होंने उस अमर शहीद के नाम को न बेचा हो। किसी को जनसंघ का टिकट मिला तो उस पर चुनाव लड़कर विधायक बन गये। किसी को कांग्रेस ने कोई टुकड़ा फ़ेंक दिया तो उसे लपक ले गये। और तो और चौटालों का घर भी नहीं छोड़ा। एन आई टी 5 नम्बर थाने के सामने गोल चक्कर में लगी उस महान् शहीद की मूर्ति का अनावरण औम प्रकाश चौटाला से उस वक्त, इनके परिवार ने, करवाया था जब चौटाला अपने राजनीतिक जीवन के कठिनतम दौर से गुज़र रहे थे। भगत सिंह की आत्मा यह सब देखकर रो नहीं रही होगी?

ये परिजन जहां कहीं भी अपना परिचय देते हैं तो भगत सिंह से अपना रिश्ता बता कर देते हैं। खुद क्या हैं? दलाल, ठेकेदार इत्यादि-इत्यादि। उसकी वामपंथी सोच-समझ के आसपास भी नहीं । उसके अधूरे सपने पूरे करने की बात तो छोड़ों, उसके बारे में सोचने भर से इनमें कम्पकपी छूट जाती है।

मैट्रो रेल ने हंसाया, राजमार्ग ने रूलाया

फ़रीदाबाद (म.मो.) अप्रैल 2011 में काम शुरू करने वाली मैट्रो रेल ने ठीक 4 साल में ट्रायल हेतु रेल चलाकर शहर की जनता को खुश कर दिया। नई-नवेली मैट्रो रेल को देखकर शहरवासी गदगद हो रहे हैं। इसके पीछे मैट्रो रेल कार्पोरेशन के दक्ष व मेहनती कर्मकारों का समर्पण भाव से काम करना रहा है। समय पर काम पूरा करने की दृढ इच्छा-शक्ति के चलते, इन चार वर्षों में इन कर्मकारों को रात-दिन, सर्दी-गर्मी, धूप-बरसात में काम करते इस शहर ने देखा है। इतना ही नहीं, चार वर्ष के इस कार्यकाल में किसी भी शहरवासी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत मैट्रो ने नहीं आने दी। अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले मैट्रो ने आने-जाने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सदैव वैकल्पिक व्यवस्था की।

दूसरी ओर हरामखोरी व लूट का नमूना पेश किया जा रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग पर। एन एच ए आई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) और अनिल अम्बानी की रिलायंस की सांठ-गांठ के चलते गत 6 वर्षों से इस सड़क को चौड़ा करने का नाटक चल रहा है। इसके लिये पहले कांग्रेस और अब भाजपा सरकार ने अम्बानी को बजरिया टोल-टैक्स जनता को लूटने का पट्टा भी दे रखा है।

शहर के बीचों-बीच से गुजरने वाली इस सड़क पर चल रहे इस ड्रामे से सारा शहर परेशान है। सड़क पर काम तो शुरू कर दिया गया परन्तु आवागमन की कोई व्यापक व्यवस्था नहीं की। इस काम को देख कर ऐसा लगता जैसे कोई काम नहीं बल्कि रोना पीटना कर रहा हो। पूरी सड़क पर दिन भर धूल उड़ती रहती है। एक भी यू टर्न ठीक ढंग से नहीं बनाया गया। सड़क पर लगे दिशा सूचक उखाड़ कर फेंक दिये गये हैं। इसके चलते पूरी दादागिरी का माहौल नज़र आता है। केवल यही नहीं दिल्ली में मैट्रो एयरपोर्टलाइन भी इसी चोर अनिल अम्बानी को कांग्रेस सरकार ने दी थी। उसका सत्यानाश करके, ठेका तोड़ कर बीच में ही भाग खड़ा हुआ। ठेके की शर्तों के अनुसार इस चोर को एक भी पैसा वापस नहीं मिलना चाहिये परन्तु भाजपा सरकार उसकी पूरी धरोहर राशी ब्याज सहित लौटाने जा रही है।

भीड़तन्त्र द्वारा ब्लैकमेल करने की बढती प्रवृत्ति

ढींगड़ा भाईयों से पैसा ऐंठने वारिस उतरे सड़कों पर

फ़रीदाबाद (म.मो.) राजेश पांडे (45) रेहड़ी लगाकर वाडीलाल की आइसक्रीम बेचने का काम करता था। दिनांक 5 अप्रैल की शाम को हर रोज़ की तरह वह अपनी रेहड़ी को एस जी एम नगर स्थित आइसक्रीम डिपो पर खड़ी करने गया। उसके 8 व 12 वर्षीय दो बेटे भी साथ थे। यहां पर तमाम रेहड़ियों में लगी बैट्रियों को रात भर चार्ज करके अगले दिन के लिये तैयार किया जाता है। नशे में धुत्त राजेश डिपो में आकर गिर पड़ा तो डिपो मालिक के कारिंदों ने तुरंत उसे दोनों बेटों सहित बादशाहखान अस्पताल पहुंचा दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घर का एक मात्र कमाने वाला मर जाये तो दुख होना स्वाभाविक है। सवाल पैदा हो जाता है कि अब परिवार का भरण-पोषण कैसे होगा? ऐसे में कुछ धंधेबाज तिकड़मी तुर्त-फुर्त कहानी गढ देते हैं कि डिपो में बिजली के तार नंगे पड़े थे जिनसे लगे करंट से राजेश की मृत्यु हो गयी। इसके बाद डिपो मालिक ढींगड़ा ने दोनों बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया तथा शव को बादशाहखान अस्पताल में जा रखवाया। इसी मनगढंत कहानी के आधार पर तिकड़मियों ने न केवल विनोद बल्कि उनके भाई नगर निगम पार्षद योगेश ढींगड़ा के विरुद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज कराना चाहा। पुलिस ने इस झूठी कहानी की तसदीक किये बिना जब मुकदमा दर्ज करने से इन्कार कर दिया तो पुलिस पर अभद्रता एवं दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए 6 तारीख को बी के चौक पर घंटों जाम लगा दिया। दबाव में आई पुलिस ने शिकायतकर्ता की मनगढंत कहनी के आधार पर गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन कोई गिरफ़्तारी नहीं की। मुकदमा दर्ज होने का मतलब गिरफ़्तारी जरूरी होती भी नहीं जब तक सबूत न हों।

उधर डॉक्टरों द्वारा किये गये पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण दिल का दौरा पाया गया न कि करंट लगना। मुकदमा दर्ज होने से पहले व पोस्टमार्टम होने के बाद तक मृतक पक्ष के लोग़ों ने ढींगड़ा भाइयों से 10 लाख रुपये बतौर मुआवजे की मांग की। यद्यपि निगम पार्षद ढींगड़ा का इस मामले से दूर तक कोई लेना-देना नहीं था, फ़िर भी समझौतावार्ता में उन्होंने मानवता के आधार पर पीड़ित परिवार को कुछ सहायता दिलवाने की पेशकश की थी, लेकिन भीड़तन्त्र के घोड़े पर सवार धंधेबाज मुकदमा दर्ज करवा कर ही माने।

मुकदमा दर्ज होने से भी जब कोई पैसा नहीं मिला तो 7 तारीख को अस्पताल से मिले शव को एक एम्बुलेंस में डाल कर जुलूस की शक्ल में सी पी (पुलिस कमिश्नर) कार्यालय की आर बढ चले। जाहिर है उनकी मंशा शव को सी पी कार्यालय के गेट पर रख कर, पुलिस को ब्लैकमेल करके ढींगड़ा भाइयों की गिरफ़्तारी सुनिश्चित करने की थी जिससे वे 10 लाख दे देवें। लेकिन पुलिस ने शव सहित एम्बुलेंस को बीच रास्ते से ही वापस कर दिया और जुलुस तितर-बितर हो गया। इसके लिये भीड़ हांकने वालों द्वारा पुलिस पर तरह-तरह के आरोप लगाना स्वाभाविक है। ब्लैकमेलिंग का यह न तो पहला वाकया है और न ही आखरी। इस तरह की घटनायें अब काफ़ी आम हो चली हैं। पिछले दिनों लगभग इसी तरह की ब्लैकमेलिंग के चलते गुड़गांव में खुद पुलिस को अपने ही खिलाफ़ एक मुकदमा दर्ज करके जान छुड़ानी पड़ी थी।

मैट्रो अस्पताल पर जोरदार प्रदर्शन, अदालती आदेश की उड़ी धज्जियां

फ़रीदाबाद (म.मो.) चिकित्सा के नाम पर शहर भर की मजबूर जनता से ठग्गी मारने वाले मैट्रो अस्पताल के गेट पर वहां के कर्मचारियों ने अदालती आदेश को रोंदते हुए ज़ोरदार प्रदर्शन व नारेबाज़ी की। उनके समर्थन में हिन्द मज़दूर सभा से जुड़े सैंकड़ों अन्य श्रमिक भी इसमें शामिल हुए।

विदित है कि इस अस्पताल ने अपने बरसों पुराने 34 कामगारों को लगभग आधी तनख्वहा पर ठेकेदारी में काम करने को कहा था। कामगार नहीं माने तो उन्हें बाऊंसरों द्वारा मार-पीट कर काम से निकाल दिया गया। श्रम विभाग सहित सरकार के किसी विभाग ने जब उनकी नहीं सुनी तो उन्होंने धरना-प्रदर्शन का रास्ता अख्त्यार किया। समझौते के लिये श्रम विभाग ने अस्पताल प्रबन्धन को कई बार बुलाया, लेकिन उसने कभी वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं समझी। क्योंकि उन्हें विश्वास था पुलिस एवं ज़िला अदालतों पर। न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए प्रबन्धन ने एक स्थानीय अदालत से आदेश प्राप्त कर लिया कि कामग़ार अस्पताल गेट से 150 मीटर तक के दायरे में धरना-प्रदर्शन तो क्या प्रवेश भी नहीं करेंगे। जाहिर हैअदालत का यह आदेश न केवल जनविरोधी था बल्कि असंवैधानिक भी था। देश का संविधान प्रत्येक नागरिक को यूनियन बना कर शान्तिपूर्वक धरना, प्रदर्शन, नारेबाज़ी व हड़ताल आदि करने की पूरी आज़ादी देता है। हां यदि कोई इस आज़ादी का दुरूपयोग करते हुए शान्ती भंग करता है तो उससे निपटने के लिये बाकायदा कानूनी प्रावधान हैं। फिलहाल इन कामग़ारों पर ऐसा कोई आरोप है भी नहीं।

मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल ने जब कामगारों को अदालती आदेश का हवाला देकर रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस से पूछा कि प्रदर्शन अस्पताल गेट पर नहीं तो कहां करें? 150 मीटर दूर तो सैशन जज व उपायुकत का घर है तो क्या वहां जाकर या किसी और के घर पर जाकर करें? कामगारों ने पुलिस को यह भी कहा कि यदि वे किसी अदालती आदेश की उल्लंघना कर भी रहे हैं तो वह उन पर निर्धारित धारा लगा कर गिरफ़्तार कर ले अथवा अदालती अवमानना का केस बना दे। जाहिर है पुलिस ऐसा कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं थी। गैर क़ानूनी बलप्रयोग करने का जोखिम पुलिस उठाना नहीं चाहती थी। इसका परिणाम यह निकला कि जो अस्पताल मालिक बंसल कामगारों से बात तक नहीं करना चाहता था, कम से कम वार्ता की मेज तक तो आया। वार्ता हेतु उन्होंने कामग़ार नेताओं को अपने केबिन में बुलाया। इस वार्ता का परिणाम क्या निकलता है वह तो समय ही बतायेगा।

इस सारे मामले में जहां एक ओर ग़लत एवं असंवैधानिक आदेश जारी करके खुद एक अदालत ने ग़ैरकानूनी व झगड़ा पैदा करने वाला काम किया था; वहीं पुलिस ने इसे जबरन लागू कराने के लिये बलप्रयोग न करके सराहनीय काम किया है।

आई एम टी में 500 गज व 5 एकड़ के प्लॉट, छोटे उद्योगों के लिये जगह नहीं

फ़रीदाबाद (म.मो.) कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने मोहना रोड व तिगांव रोड के बीच करीब 20000 एकड़ ज़मीन किसानों से छीन कर आई एम टी (इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन) का निर्माण किया। हुड्डा सरकार ने लूट-कमाई का यह कारोबार अपने एच एस आई डी सी (हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम) के द्वारा कराया।

सरकारी ताकत के बूते किसानों से 46 लाख रुपये प्रति एकड़ (करीब 948 रुपये प्रति गज़) के भाव से छीन कर प्लॉट बेच दिये 15 हज़ार रुपये प्रति गज़ के भाव। विकास कार्यों-सड़क, पार्क आदि-के लिये छोड़ी गयी ज़मीन की कीमत भी लगा लें तो सरकार को यह ज़मीन पड़ी लगभग 15 सौ रुपये गज़। सड़क, सीवर, पार्क आदि जैसे विकास कार्यों के नाम पर होने वाले घटिया से घटिया काम पर तमाम अफ़सरों द्वारा भरपेट खाने के बावजूद यह लागत डेढ हज़ार रुपये प्रति गज़ से अधिक नहीं आती। इस प्रकार, अधिक से अधिक तीन हज़ार रुपये प्रति गज़ की जमीन को सरकार ने बेच दिया 15 हज़ार रुपये प्रति गज़ के हिसाब से। इसे व्यापार नहीं लूट का कारोबार कहा जाता है।

इस औद्योगिक क्षेत्र में बड़े प्लॉट 5 एकड़ के हैं तो छोटे से छोटा प्लॉट 500 गज़ का है। जबकि बल्लबगढ एन आई टी फ़रीदाबाद के विभिन्न गली मोहल्लों में चलने वाले छोटे-छोटे उद्योग एवं वर्कशापें मात्र 50 से 100 गज़ के प्लॉटों में ही चल रही हैं। इनकी संख्या शहर भर में 30 हज़ार से कम नहीं है। ये कहने को छोटे उद्योग हैं पर ये उन पहियों के समान हैं जिन पर एस्कॉर्ट व मारूति जैसे बड़े उद्योग सरपट भाग रहे हैं। यदि इनको यकायक बन्द कर दिया जाय तो उक्त बड़े उद्योग एकदम झाग की तरह बैठते नज़र आयेंगे।

इन छोटे उद्योग़ों की तारीफ़ यह है कि इनके मालिक खुद कारीगर हैं। जो कल तक किसी बड़े उद्योग में नौकरी करते थे, अपनी निपुणता व हुनर के बूते जैसे तैसे जुगाड़ लगा कर छोटी सी जगह अथवा अपने ही घर में एक-दो मशीन लगा कर काम शुरू कर दिया। धीरे-धीरे दो-दो, चार-चार मज़दूर भी नौकरी पर रखते चले गये।

अब चूंकि ये उद्योग खुद (मज़दूर) कारीगरों द्वारा शुरू किये गये थे, इसलिये पूंजी के अभाव में उन रिहायशी क्षेत्रों में स्थापित हो गये जिन्हें सरकार ने अनाधिकृत कॉलोनियों का नाम दिया। ये अनाधिकृत कॉलोनियां भी इसलिये बनी थी क्योंकि सरकार ने निम्न-आय वर्ग के लिये रिहायश की कोई व्यवस्था नहीं की थी। जो की भी थी वह बहुत मंहगी व ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। इस वर्ग की रिहायशी जरूरतों को पूरा करने के लिये राजनेताओं व अफ़सरों की मिलीभगत से अवैध अथवा अनाधिकृत कॉलोनियों का निर्माण हुआ।

अब, जब पानी नाक के ऊपर जाने लगा, रिहायशी क्षेत्रों में ये उद्योग अखरने लगे तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इन्हें तुरन्त इन क्षेत्रों से हटाने का आदेश जारी कर दिया है। अब नगर निगम इस आदेश को लागू कराने के लिये प्रयासरत है। परन्तु न तो हाई कोर्ट ने और न ही नगर निगम यह बता रहा कि इन तीस हज़ार छोटे एवं कुटीर उद्योग़ों को बसाया कहां जायेगा?

जनविरोधी हुड्डा सरकार ने तो अपनी लूट-कमाई हेतु जो ऐसी तैसी कराई सो कराई, परन्तु अब जनहित का दावा करने वाली भाजपा की खट्टर सरकार क्यों नहीं इसी आई एम टी में इन उद्योग़ों को बसाने का प्रबन्ध करती? क्यों नहीं बिना मुनाफ़ाखोरी के, लागत के भाव इन छोटे उद्योग़ों को छोटे-छोटे प्लॉट आवंटित करती?